प्रेस.विज्ञप्ति **दिनांक 27.07.2026**

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

भिलाई शहर में अवैध बैनर.पोस्टर के खिलाफ निगम का अभियान तेजए विद्युत एवं ट्यूबलर पोल से हटाए जा रहे प्रचार सामग्री

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाए गए बैनर एवं पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम द्वारा सड़कों एवं प्रमुख मार्गों पर स्थापित ट्यूबलर तथा विद्युत पोल से अवैध बैनर.पोस्टर को लगातार हटाया जा रहा है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि विद्युत एवं ट्यूबलर पोल पर लगाए गए बैनर.पोस्टर कई बार सड़क किनारे दृश्यता को प्रभावित करते हैं, जिससे वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों एवं अन्य बाधाओं को देखने में परेशानी हो सकती है। इससे सड़क दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। इसके अलावा शहर के प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत प्रचार सामग्री लगाए जाने से शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता प्रभावित होती है। आयुक्त के निर्देश पर निगम द्वारा ऐसे अवैध बैनर एवं पोस्टर को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत निगम अमला विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर विद्युत एवं ट्यूबलर पोल सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अनाधिकृत बैनर.पोस्टर को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। अवैध बैनर पोस्टर हटाए जाने के संबंध में महापौर परिषद से भी संकल्प पारित है।

नगर निगम भिलाई ने नागरिकों एवं विभिन्न संस्थानों से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्तियोंए विद्युत एवं ट्यूबलर पोल तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर बिना अनुमति के बैनर.पोस्टर न लगाएं। निगम द्वारा शहर को स्वच्छए सुंदर एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।

संलग्न.फोटो जनसम्पर्क अधिकारी